


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>प्रकाश राज गहलोट (नया बलापुरा) सी/ओ मांगीलाल पुत्र पीराजी, मु-रसियावास खुर्द, पोस्ट-पलासिया कलां, तहसील आहोर, जिला-जालौर (राजस्थान) 307030</p> <p>बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली</p> <p>प्रथम सूचना अपील संख्या :- 29/2022</p> <p>जीसीएमएस नं. :- 2022/31</p> <p>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15/3/22</p>	<p align="center">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 09.08.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./ (6)(3)/371/2021/192 दिनांक 01.02.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली) से संबंधित वांछित सूचना अन्य लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली/जिला रसद कार्यालय पाली/ उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर/तहसीलदार सुमेरपुर/ विकास अधिकारी सुमेरपुर से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक/रा.लो.सू.अ./ (6)(3)/371/2021/1560 दिनांक 29.09.2021 के निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली के पत्रांक 269 दिनांक 20.10.2021 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार अप्राप्त है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, पाली/जिला रसद कार्यालय पाली/ उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर/तहसीलदार सुमेरपुर/ विकास अधिकारी सुमेरपुर को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। उपरोक्त समस्त लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, पाली/जिला रसद कार्यालय पाली/ उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर/तहसीलदार सुमेरपुर/ विकास अधिकारी सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। निर्णय आज दिनांक 15/03/2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। <p align="center">  नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	